प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेषक,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 28 जुलाई, 2014**

विषय- **डा0 भीमराव अम्बेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम, मऊ में 56 बेडेड डारमेट्री के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 1260/नि0 मऊ डारमेट्री पत्रा0/2012-13, दिनांक 03-03-2014 एवं पत्र संख्या- जी0- 85/ नि0 मऊ स्टे0 पत्रा0/2014-15, दिनांक 09-05-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 632/बयालिस-2008-33(निर्माण)/2006, दिनांक 26 मार्च, 2008 द्वारा डा0 भीमराव अम्बेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम, मऊ में 56 बेडेड डारमेट्री के निर्माण हेतु रू0 65.51 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा सम्पूर्ण धनराशि भी अवमुक्त की गयी थी। प्रायोजना की मूल लागत वर्ष- 2005 की दर पर होने तथा कार्य की स्वीकृति वर्ष- 2008 में दिये जाने तथा कार्य वर्ष- 2009 में प्रारम्भ होने तथा उक्त अवधि में दरों में वृद्धि होने के कारण प्रायोजना को पूर्ण किये जाने हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 102.89 लाख (रू0 एक करोड़ दो लाख नवासी हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1)- कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल की होगी तथा निदेशक, खेल यह सुनिश्चित करेंगें कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जायें।

(2)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य की सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त् कर लिये जायेंगे।

(3)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एंव बजट मैनुवल के प्रस्तर- 212(7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जोयगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(4)- नियमानुसार लेबर सेस का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)- आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(6)- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7)- शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध मूल शासनादेश संख्या- 632/बयालिस-2008-33(निर्माण)/2006, दिनांक 26 मार्च, 2008 की यथावत रहेंगी।

;;;;2/

http://shasanadesh.up.nic.in

(8)- स्वीकृत परियोजना लागत के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

2- उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2014-15 में अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय- आयोजनागत- 03- खेलकूद तथा युवा सेवा- 800-अन्य व्यय- 25- जिला योजना के अधूरे कार्यों के लिए एकमुश्त बजट व्यवस्था- 24- वृहत् निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-5- 937/दस-14, दिनांक 17 जुलाई, 2014 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
सचिव।

संख्या- 1220(1)/बयालिस-2014-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी मऊ।
(5)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, आजमगढ़ मण्डल/क्रीड़ाधिकारी, मऊ।
(6)- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 लिखनऊ।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियमंत्रण) अनुभाग- 5
(9)- नियोजन अनुभाग- 4
(10)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in